31.5.22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र O23 R1 व 2 आदेश 6 नियम 17 व आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 CPC पेश किया गया कि वाद विवादित भूमि ग्राम बालदी तहसील बारां जिसका विवरण वाद पत्र की मद नं. 3 मे अंकित है तथा सेटलमेन्ट के बाद बने खसरा नम्बर व रकबे को मद नं. 8 वाद पत्र मे अंकित है के बाबत पेश किया है यह भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व कान्हा गोपाल रति 1/5 तथा रतना वल्द भगवान हिस्सा 1/5 दर्ज थी जिसका विवरण मद नं. 3 वाद पत्र मे अंकित है परन्तु सेटलमेन्ट के बाद बने नये खसरा नम्बर व रकबा 10.30 हे. मे पूर्व खातेदार हीरालाल वादी क्र. 1 का नाम हटा दिया तथा उसके स्थान पर हीरालाल के 1/5 हिस्से को कालेश्वर प्रति वादी क्र. 1 के नाम दर्ज कर दिया जिसका विवरण वाद पत्र की मद नम्बर 8 मे अंकित है इसलिए यह दावा हीरालाल वादी क्र. 1 को विवादित भूमि के 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करने व आराजी के विभाजन हेतु दावा किया गया है। हीरालाल वादी क्र. 1 का स्वर्गवास हो गया है हीरालाल ने अपना 1/5 हिस्सा जरिए वसीयतनामा दिनांक 27-6-1986 रजि. दिनांक 27-6-1986 से जयलाल पुत्र कान्हा व रामपाल पुत्र रतना के पक्ष मे कर दिया है जयलाल व रामपाल का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारिसान रिकॉर्ड पर आने है। दावा सन् 1986 मे पेश किया था इसके बाद दौराने दावा वादी क्र. 3/1 पुष्पाबाई बेवा जयलाल का स्वर्गवास हो गया जिनके वारिसान पहले से ही दावे मे पक्षकार है वादी क्र. 4 गुलाबबाई, वादी क्र. 5 नन्दूबाई, वादी क्र. 6 केशरबाई व वादी क्र. 7 प्रहलाद एवं प्रतिवादी क्र. 2 गुड्डीबाई, प्रतिवादी क्र. 3 रामप्यारीबाई, प्रतिवादी क्र. 6 छोटूलाल का स्वर्गवास हो गया है जिनके दावे मे वारिसान रिकॉर्ड पर नही लिए गए है तथा इनके खिलाफ दावा अबेट हो गया है ये सभी पक्षकार भूमि विभाजन से सम्बन्धित है।

प्रतिवादी क्र. 5, 6 ने अपना हिस्सा जरिए विक्रय पत्र दिनांक 12-4-2004 अपने 1/5 हिस्से का 1/4 हिस्सा कैलाशचन्द को व जरिए विक्रय पत्र रजि. दिनांक 12-4-2004 से अपने हिस्से का 3/16 का हिस्सा शांतीबाई पत्नी गोवर्धनलाल को व शेष 1/5 का 1/4 हिस्सा जरिए रजि. [illegible] बाई पत्नी फूलचन्द को विक्रय कर दिया है [illegible] वादी कालेश्वर ने भी 1/5 हिस्सा विक्रय कर दिया [illegible] राजाराम, फूलचन्द व जरिए विक्रय पत्र [illegible] तथा जरिए [illegible] पत्र गोवर्धनलाल को विक्रय कर दिया [illegible] रजि. दिनांक 10.6.2014 से वादी राधाबाई, हरिबाई [illegible] जयलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:48:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मिसल नं. .... उनवान .... बनाम ....

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
	पुष्पाबाई बेवा भंवरलाल, रामपाल पुत्र नानगा, नेहाबाई पुत्री नानगा, रुक्मणी पुत्री नाथी, ओमप्रकाश पुत्र गट्टीबाई वादी ने मौके काश्त के [illegible] हक व हिस्सा [illegible] व प्रहलाद पुत्र भंवरलाल की है [illegible] से सभी खातेदारों का [illegible] है अंकन भी हो जाय है इसलिए भी [illegible] का [illegible] नहीं रहा, वे सभी [illegible] की पुन पक्षकार बनाने है दावे में सामी [illegible] इसलिए वादी [illegible] पर प्रति विभाजन की डिक्री को [illegible] करते है पुनि [illegible] विभाजन मुताबिक नई जमाबन्दी [illegible] के [illegible] जा [illegible]। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा विभाजन की डिक्री मे संबंधित पक्षकारान वादी क्रम 4 गुलाबबाई, वादी क्रम 5 गट्टीबाई, वादी क्रम 6 नेहाबाई, वादी क्रम 7 प्रहलाद, प्रति वादी क्रम 2 गुड्डीबाई प्रति वादी क्रम 3 रामप्यारीबाई, प्रति वादी क्रम 5 रामकरण, प्रति वादी क्रम 6 छोटूलाल का नाम दर्ज कराया जाने तथा दावे के विभाजन के [illegible] पद के 3 व 10 को हटाये जाने तथा प्रार्थना के भी विभाजन [illegible] [illegible] की पद संख्या 2 मे अंकित है उसे हटाया जाना [illegible] प्रति वादी क्रम 1 - बालिग हो गया है उसे बालिग दर्ज करने का निवेदन किया है।
	बहस प्रार्थना पत्र अभिभाषक वादी सुनी गयी बहस के दौरान वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि वाद पत्र में विभाजन की डिक्री हटाई जावे क्योंकि विवादित भूमि का नाम राजस्व रेकार्ड मे [illegible] तथा कई नए खातेदारान का [illegible] हो चुका है वादी क्रम 4 गुलाबबाई वादी क्रम 5 गट्टीबाई, वादी क्रम 6 नेहाबाई, वादी क्रम 7 प्रहलाद प्रति वादी क्रम 2 गुड्डीबाई, प्रति वादी क्रम 3 रामप्यारीबाई, प्रति वादी क्रम 5 रामकरण, प्रति वादी क्रम 6 छोटूलाल का इन्तकाल हो जाने से इनका नाम दर्ज कर हटाया जावे नई जमाबन्दी के आधार पर विभाजन का वाद पत्र पुन: प्रस्तुत कर विभाजन करा दिया जावे या इसके उत्तराधिकारान व विभाजन की डिक्री को दर्ज कर हटाया जावे शेष पक्षकारान के हिस्से तय कर वाद पत्र के [illegible] कर डिक्री दिया जावे [illegible] [illegible] किया जावे।
	बहस प्रा० पत्र [illegible] वादी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकॉर्ड [illegible] गया। वकील वादी द्वारा वाद [illegible] [illegible] 10, 188, 53 RTA 2 तहत वर्ष 1986 के विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार करने के वाद के बाद संशोधित रिपोर्ट पेश कर इसके वारिसान को कायम मुकामात बनाया गया है वादी द्वारा वाद पत्र 1986 के विचाराधीन ही प्रकरण के विभाजन की डिक्री व इसके वादी व उत्तरवादी के नाम [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:48:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कार्यवाही एवं आदेश

विविध सं

इसके हेतु प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है प्रकरण के हस्तक
के वादीगण को का० मु० बनाने जाने का दाखिल वादी
का है वादी हस्तकों के वादीगण को का० मु० नहीं
बना रहे हैं यह दाखिल वादी का है कि हस्तक वादी न
हस्तक प्रार्थी वादी के नामद वादीगण को का० मु० बनाया
जाना वादी द्वारा प्रा० पत्र खिलाफ श्री दिलीप सिंह व
हस्तक के नाम दावा से खारिज करने का पेश किया है
वह खारिज योग्य है क्योंकि दावा वादी द्वारा घोषणा व
बटवारे का किया है वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रा० पत्र
O23 R1 व 2, O6 R17 व O1 R10 एवं धारा 151 CPC अन्तर्गत योग्य
नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा वादी का वाद
खारिज किया जाता है पत्रावली नतीजा शुमार होकर बाद
तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:48:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner